

म.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण, भोपाल
आदेश-पत्रिका

कार्यवाही की तारीख,	आदेश							
11.7.19	<p style="text-align: center;">पंजीकृत परियोजना की वापसी</p> <p>प्राधिकरण के अंतर्गत पंजीकृत कराई गई परियोजना की वापसी के संबंध में प्राधिकरण द्वारा दिनांक 8 जुलाई 2019 को विचार किया गया। परियोजना की वापसी के प्रकरणों के परीक्षण संबंध में निम्नलिखित दिशा निर्देश जारी किए जाते हैं -</p> <ol style="list-style-type: none">1- परियोजना वापसी का कारण क्या है ?2- वापसी का आवेदन पंजीयन की वैधता अवधि के दौरान प्राप्त होना अपेक्षित है।3- संप्रवर्तक द्वारा पूर्व त्रैमास तक त्रैमासिक विवरणी अद्यतन प्रस्तुत की गई हो।4- यदि प्रोजेक्ट में कोई बुकिंग नहीं ली गई है तो संप्रवर्तक बुकिंग न होने का शपथ पत्र प्रस्तुत करें। शपथ पत्र में भविष्य में परियोजना में बुकिंग या विज्ञापन के पूर्व पंजीयन की कार्यवाही पुनः करने का आश्वासन हो।5- यदि प्रोजेक्ट में बुकिंग ली गई है तो संप्रवर्तक आवंटितियों की ब्याज सहित राशि वापस करें और शपथ पत्र पर निम्नलिखित तालिका में विवरण दें - <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><thead><tr><th>आवंटी का नाम</th><th>प्राप्त राशि</th><th>प्राप्ति दिनांक</th><th>वापस की गई राशि</th><th>राशि वापसी का दिनांक</th><th>आवंटी का पता व ईमेल</th><th>आवंटी का दूरभाष क्र.</th></tr></thead></table> <ol style="list-style-type: none">6- पंजीकृत परियोजना के वापसी का अनुमोदन होने पर पूर्व में जमा किया पंजीयन शुल्क वापस नहीं किया जावेगा। <p style="text-align: center;">सचिव, रेरा उपरोक्त दिशा निर्देश प्राधिकरण की वेबसाइट पर प्रसारित करें।</p>	आवंटी का नाम	प्राप्त राशि	प्राप्ति दिनांक	वापस की गई राशि	राशि वापसी का दिनांक	आवंटी का पता व ईमेल	आवंटी का दूरभाष क्र.
आवंटी का नाम	प्राप्त राशि	प्राप्ति दिनांक	वापस की गई राशि	राशि वापसी का दिनांक	आवंटी का पता व ईमेल	आवंटी का दूरभाष क्र.		
	सचिव							